

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 13 मई, 2024

मध्य.या. 336/2024

अमनदीप सिंह ओबेरॉय

..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री आयुष अग्रवाल, सुश्री भूमिका
शर्मा और श्री कुंज मेहरा,
अधिवक्तागण

बनाम

ट्रिपिंग मिस्टर पिंग प्राइवेट लिमिटेड

..... प्रत्यर्थी

द्वारा: सुश्री सुरभि शर्मा और सुश्री धन्या
ऐरेन, अधिवक्ता

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा

निर्णय (मौखिक)

अंत.आ. 5576/2024 (छूट)

1. सभी अपवादों के अधीन अनुमति दी गई ।
2. आवेदन का निपटान किया जाता है।

मध्य.या. 336/2024

3. वर्तमान याचिका मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (*इसके बाद "अधिनियम, 1996" के रूप में संदर्भित*) की धारा 11 (6) के अधीन याचिकाकर्ता की ओर से दायर की गई है जिसमें पक्षों के बीच उत्पन्न विवादों के निर्णय के लिए एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की गई है।

4. याचिका में यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी द्वारा पांच साल की अवधि के लिए दिनांक 24.10.2022 के फ्रेंचाइजी समझौते के माध्यम से मरीन ड्राइव, रायपुर, छत्तीसगढ़ में बर्गर सिंह का फ्रेंचाइजी आउटलेट दिया गया था। हालांकि, प्रत्यर्थी ने अवैध रूप से और मनमाने ढंग से दिनांक 27.07.2023 के पत्र के माध्यम से फ्रेंचाइजी समझौते के अनुसरण में दोषों को दूर करने के लिए याचिकाकर्ता को बिना किसी पूर्व सूचना दिए फ्रेंचाइजी समझौते को समाप्त कर दिया।

5. इस तरह की अवैध समाप्ति के कारण पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुए। याचिकाकर्ता ने मताधिकार समझौते के अनुच्छेद 26 के अधीन दिनांक 22.09.2023 के विवादों के निपटान के लिए नोटिस के माध्यम से विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्रत्यर्थी को बुलाया। दोनों पक्ष बातचीत में जुट गए लेकिन कई प्रयासों के बावजूद वे किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने मताधिकार समझौते के खंड 28 के अधीन दिनांक

26.12.2023 के अवलंब नोटिस का सहारा लिया। अवलंब नोटिस के बावजूद प्रत्यर्थी ने विवादों के निर्णय के लिए एकतरफा रूप से दिनांक 29.01.2024 के पत्र के माध्यम से एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया ।

6. यह दावा किया गया है कि मध्यस्थ की यह एकतरफा नियुक्ति *कानूनी रूप से* अमान्य है और इसलिए, एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता की ओर से वर्तमान याचिका दायर की गई है।

7. **वर्तमान याचिका का प्रत्यर्थी द्वारा विरोध किया गया है जिसने अपने उत्तर में प्रस्तुत किया है कि अधिनियम, 1996 की धारा 21 के अधीन अवलंब नोटिस कानून के अनुसार नहीं है क्योंकि यह विलंबित भुगतान सलाहकारों में से श्री सिद्धार्थ शर्मा द्वारा जारी किया गया है।**

8. प्रत्यर्थी-कंपनी ने दावा किया है कि 25.01.2024 को और फिर 26.01.2024 को, विलंबित भुगतान सलाहकारों से श्री सिद्धार्थ शर्मा का ई-मेल प्राप्त हुआ था, जिसमें फ्रेंचाइज़ी समझौते के अनुसार मध्यस्थता अवलंब लिया गया था, हालांकि, उक्त नोटिस को इस सहज कारण से वैध नहीं माना गया था कि श्री सिद्धार्थ शर्मा एक तीसरा पक्ष हैं और उन्हें अवलंब नोटिस जारी करने का कोई अधिकार नहीं है।

9. इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि अधिनियम, 1996 की धारा 29 के अधीन नोटिस मान्य नहीं है क्योंकि इस पर याचिकाकर्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

10. आगे यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम, 1996 की धारा 29 के अधीन नोटिस वैध नहीं है और यह माना जाना चाहिए कि कोई अवलंब नोटिस नहीं दिया गया है जिससे वर्तमान याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

11. प्रस्तुतियाँ सुनी गईं।

12. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पारसोली मोटर्स वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम बीएमडब्ल्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, 2023 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 79 के मामले में निर्णय को आधार बनाया है, जिसमें प्रसार भारती बनाम मल्टी चैनल (इंडिया) लिमिटेड, 2005 अनु. मध्य. एलआर 245 को आधार बनाने के बाद, यह देखा गया कि अवलंब नोटिस देने का उद्देश्य दूसरे पक्ष को यह जानकारी देना है कि ऐसे कुछ विवाद हैं जो पक्ष मध्यस्थता के लिए रखने का इरादा रखता है, जिसमें वह दूसरे पक्ष को विवाद हल करने का और यदि संभव हो तो, उनके समझौते की शर्तों के अनुसार मध्यस्थता को स्वीकार करने का अवसर देने का इच्छुक है। जब तक मौलिक आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं, यानी कि अधिनियम, 1996 की धारा 21 के अधीन नोटिस, और मध्यस्थता को लागू करने के आशय के साथ विवाद के संबंध में सूचना दी जाती है, तो अधिनियम, 1996 की धारा 21 की आवश्यकताओं का अनुपालन माना जाएगा।

13. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने बनारसी कृष्णा समिति और अन्य बनाम कर्मयोगी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, (2012) 9 एससीसी 496 के

मामले में निर्णय को आधार बनाया है, जिसमें यह समझाया गया है कि "मध्यस्थता का पक्ष" किसे माना जाए। यह माना गया कि "पक्ष" अभिव्यक्ति ऐसे व्यक्ति को इंगित करती है जो मध्यस्थता समझौते का पक्ष है। यह भी देखा गया कि "पक्ष" अभिव्यक्ति, जैसा कि 1996 अधिनियम की धारा 2(ज) में परिभाषित किया गया है, स्पष्ट रूप से ऐसे व्यक्ति को इंगित करता है जो एक मध्यस्थता समझौते का पक्ष है। यह परिभाषा समझौते पक्ष के एजेंट को शामिल करने की बात नहीं करती है। इसलिए, 1996 के अधिनियम की धारा 31 (5) और धारा 34 (2) में किए गए किसी भी संदर्भ का अर्थ केवल पक्ष से हो सकता है, न कि उसके एजेंट, या *वकालतनामे* के आधार पर कार्य करने के लिए सशक्त अधिवक्ता।

14. प्रस्तुतियाँ सुनी गईं।

15. अनिवार्य रूप से, प्रत्यर्थी की ओर लगाई गई आपत्ति यह है कि दिनांक 26.12.2023 के अवलंब नोटिस को इस कारण से वैध नहीं ठहराया जा सकता है कि यह विलंबित भुगतान सलाहकारों में से श्री सिद्धार्थ शर्मा द्वारा दिया गया है, जो न तो समझौते के पक्षकार हैं और न ही वह किसी भी तरह से याचिकाकर्ता से संबंधित हैं और इस प्रकार, उनके द्वारा दिया गया कोई भी नोटिस वैध नहीं है।

16. यह भी तर्क दिया जाता है कि अवलंब नोटिस मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने वाले विवादों का विवरण नहीं देता है और इसलिए, उचित अवलंब नोटिस नहीं है।

17. याचिकाकर्ता ने विधिवत समझाया है कि विलंबित भुगतान परामर्शदाताओं को याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी के साथ अपने विवादों के समाधान के लिए नियुक्त किया गया था और याचिकाकर्ता की ओर से विधिवत अधिकृत किया गया था।

18. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि श्री सिद्धार्थ शर्मा द्वारा याचिकाकर्ता की ओर से दिनांक 27.07.2023 को समाप्ति की सूचना का विधिवत उत्तर दिया गया था, याचिका की ओर से आगे पत्राचार भी श्री सिद्धार्थ शर्मा के साथ याचिकाकर्ता को प्रति के साथ किया गया था।

19. किसी भी समय, प्रत्यर्थी ने श्री सिद्धार्थ शर्मा के याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए सक्षम नहीं होने के बारे में कोई आपत्ति नहीं की। यहां तक कि अवलंब नोटिस के उत्तर में, प्रत्यर्थी ने किसी अभ्यासरत अधिवक्ता या किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने का सुझाव दिया था।

20. श्री सिद्धार्थ शर्मा, याचिकाकर्ता के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि होने के नाते, निपटान और अन्य बातचीत के लिए प्रत्यर्थी के साथ जुड़ने के अपने

अधिकार में थे। प्रत्यर्थी की ओर से लगाई गई आपत्ति अति तकनीकी है और मान्य नहीं है।

21. प्रत्यर्थी द्वारा आधार बनाया गया बेनारसी कृष्णा समिति (उपरोक्त) का निर्णय अधिनियम, 1996 की धारा 34 के संदर्भ में है, जो विशेष रूप से निर्धारित करता है कि पंचाट की प्रति पक्ष को सौंपी जा सकती है। उस संदर्भ में, पक्ष केवल उसी व्यक्ति तक सीमित है जो अनुबंध का हस्ताक्षरकर्ता है।

22. वर्तमान मामले में, वही व्याख्या इस कारण से लागू नहीं होती है कि अधिनियम, 1996 की धारा 21 लागू नहीं होती है।

23. अधिनियम, 1996 की धारा 21 निम्नानुसार पढ़ी जाती है: -

"21. मध्यस्थ कार्यवाही का प्रारंभ जब तक अन्यथा पक्षों द्वारा सहमति नहीं दी जाती है, किसी विशेष विवाद के संबंध में मध्यस्थ कार्यवाही उस तिथि से शुरू होती है जिस पर उस विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्त किया जाता है."

24. अधिनियम, 1996 की धारा 21 को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि इसमें कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि अवलंब नोटिस किसी पक्ष द्वारा दिया जाना है। यह सिर्फ इतना बताता है कि प्रत्यर्थी को अवलंब नोटिस दिया जाना चाहिए। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी को उचित अवलंब नोटिस नहीं दिया गया था।

25. प्रत्यर्थी की ओर से उठाई गई दूसरी आपत्ति यह है कि अवलंब नोटिस में कमी है क्योंकि यह विवादों के दायरे को परिभाषित नहीं करता है।
26. पारसोली मोटर्स वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में अवलंब नोटिस का उद्देश्य स्पष्ट किया गया था।
27. वर्तमान मामले में, दिनांक 27.07.2023 के समाप्ति नोटिस में समाप्ति के सभी आधारों को विस्तृत किया और पक्षों के बीच विवादों के दायरे को भी परिभाषित किया। 27.07.2023 का यह दस्तावेज़ बाद की बातचीत, समझौता वार्ता का आधार बन गया और अंततः जब यह समझौता नहीं हुआ, तो याचिकाकर्ता की ओर से प्रत्यर्थी को दिनांक 26.12.2023 को अवलंब नोटिस की सूचना दी गई।
28. याचिकाकर्ता ने शायद बाद में उन विवादों का विवरण नहीं दिया है जिन्हें मध्यस्थता के लिए उठाया गया था, लेकिन अवलंब नोटिस का यह पत्र समाप्ति नोटिस और बाद की बातचीत का हिस्सा था।
29. जिस आधार पर विवाद उठाए गए थे, उसका उल्लेख प्रत्यर्थी ने समाप्ति की नोटिस में स्पष्ट रूप से किया था।
30. सभी वार्ताओं और नोटिसों को सामूहिक रूप से ध्यान में रखते हुए, विवाद का स्वरूप और दायरा अच्छी तरह से स्पष्ट है और दोनों पक्षों के ज्ञान में है। अवलंब नोटिस समाप्ति नोटिस के निरंतरता में था और इसलिए अवलंब नोटिस की मूलभूत आवश्यकता, यानी, पक्षों को विवाद के दायरे में जानकारी

देने का अनुपालन किया होना माना जाएगा । प्रत्यर्थी की ओर से उठाई गई यह आपत्ति और कुछ नहीं बल्कि एक अति तकनीकी आपत्ति है जिसका कोई आधार नहीं है।

31. उपरोक्त के मद्देनजर, पक्षों के अधिकारों और विवादों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वर्तमान याचिका की अनुमति दी जाती है और श्री अनंत विजय पल्ली, वरिष्ठ अधिवक्ता, मोबाइल नंबर 9810199102, को पक्षों के बीच विवादों को स्थगित करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाता है।

32. पक्षकार मध्यस्थ के समक्ष अपनी-अपनी आपत्तियां उठाने के लिए स्वतंत्र हैं।

33. विद्वान मध्यस्थ की फीस अधिनियम, 1996 की चौथी अनुसूची के अनुसार या पक्षों द्वारा सहमति के अनुसार तय की जाएगी।

34. यह उस मध्यस्थ के अधीन है जो अधिनियम, 1996 की धारा 12(1) के अनुसार आवश्यक प्रकटीकरण कर रहा हो और अधिनियम, 1996 की धारा 12(5) के अधीन अपात्र न हो।

35. मध्यस्थता दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, दिल्ली उच्च न्यायालय के तत्वावधान में आयोजित की जाएगी।

36. पक्षों को इस न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा इस आदेश की एक प्रति प्रेषित उपलब्ध कराने के एक सप्ताह के भीतर मध्यस्थ से संपर्क करने का निर्देश दिया जाता है।

37. तदनुसार, वर्तमान याचिका को उपरोक्त शर्तों के अनुसार निपटाया जाता है।

(नीना बंसल कृष्णा)
न्यायमूर्ति

13 मई 2024

एस. शर्मा

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।